न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 6/2022

प्रार्थीगण :-

1. पूराराम पुत्र चुनीलाल जाति जाट
2. भागीरथ पुत्र चुनीलाल जाति जाट निवासीगण खेजडला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. करणाराम पुत्र भागुराम जाति जटिया
2. मांगीलाल पुत्र भागुराम जाति जटिया
3. सुशीला पुत्री पुकाराम जाति जटिया सभी निवासीगण खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थीगण – श्री जी एल कंसारा एडवोकेट
अप्रार्थी सं. 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 4– सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांकः–**20/01/26

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 815/1 रकबा 2.1358 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है जो प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी सुदा व सयुक्त कब्जा काश्त सुदा भूमि है। जिसमे प्रार्थीगण का बहिस्सा बराबर बराबर है। प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी व सयुक्त कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा संख्या 815/1 रकबा 2.1358 हैक्टेयर उत्तर दिशा की ओर से उक्त खसरे से चिपते हुए खसरा नम्बर 815/2 रकबा 1.9254 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है जो राजस्व ग्राम खेजड़ला में स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की सयुक्त खातेदारी सुदा व कब्जा काश्त सुदा भूमि है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा संख्या 815/1 रकबा 2.1358 हैक्टेयर के सीमांकन हेतु अप्रार्थी संख्या 04 के समक्ष आवेदन किया व नियमानुसार फीस जमा करवायी जिस पर अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा आदेश कमांक/भू.अ./सीमांकन/20/2662 दिनांक 23.12.2020 द्वारा हल्का पटवारी ग्राम खेजड़ला को उक्त खसरा की सीमांकन हेतु आदेशित किया तथा अप्रार्थी संख्या 04 के उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी ग्राम खेजड़ला द्वारा उक्त खसरा का सीमांकन प्रार्थीगण व मौतबिरान की उपस्थिति में किया तथा सीमांकन के सम्बन्ध मे पटवारी रिपोर्ट दिनांक 12.02.2021 को तैयार की। जब हल्का पटवारी

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

ग्राम खेजड़ला द्वारा उक्त खसरे का सीमांकन किया गया तो उस समय
अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को भी सूचित किया परन्तु बावजूद सूचना
अप्रार्थी संख्या 01 से 03 उपस्थित नहीं हुए हल्का पटवारी खेजड़ला
द्वारा उक्त खसरे के संबंध मे किये गये सीमांकन की फर्द मौका रिपोर्ट
प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न कर पेश है। हल्का पटवारी ग्राम खेजड़ला
द्वारा उक्त खसरा संख्या 815/1 रकबा 2.1358 हैक्टेयर की बताई गयी
सीमा के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 815/1 रकबा 2.1358
हैक्टेयर की उत्तर दिशा की सीमा पर तारबन्दी करने हेतु दिनांक 16.02.
2022 को गये ज्योही प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरे की उत्तर दिशा की
सीमा पर तारबन्दी करना शुरू किया तो उक्त खसरे के चिपते स्थित खेत
खसरा संख्या 815/2 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 से 03 मौके पर
आ गये तथा प्रार्थीगण को तारबन्दी करने से मना कर दिया तथा
प्रार्थीगण को कहा कि प्रार्थीगण जहां पर तारबन्दी कर रहे है वो भूमि
खसरा संख्या 815/1 का भाग है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा
प्रार्थीगण को जान से मारने की भी धमकी दी। तथा अप्रार्थीगण
अनुसूचित जाति के सदस्य है जो अनुसूचित जाति के झूठे मुकदमे में
फंसाने की भी धमकीया दी तथा जान लेवा हमला किया जिस कारण
प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 815/1 की राजस्व नक्शे के अनुसार हल्का
पटवारी ग्राम खेजड़ला द्वारा बताई गई उत्तर दिशा की सीमा पर तारबन्दी
नहीं की। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 से 03 प्रार्थीगण को खसरा
संख्या 815/1 की उत्तर दिशा की सीमा पर तारबन्दी नही करने दे रहे
है तथा खसरा संख्या 815/1 की उत्तर दिशा की भूमि को जबरन
अप्रार्थी 01 से 03 अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 815/2 मे
सम्मिलित करने पर आमादा है। क्योकि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की
खातेदारी भूमि खसरा संख्या 815/2 की भूमि खसरा संख्या 815/1 की
भूमि के दक्षिणा दिशा के चिपते ही स्थित है इसलिये खसरा संख्या
815/1 की उत्तर दिशा की सीमा पर सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 12.02.
2021 व राजस्व नक्शा मे तरमीम अनुसार पत्थर गढी करवाने हेतु यह
प्रार्थना-पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है । खसरा संख्या 815/1 राजस्व
ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित होने से तथा प्रस्तुत
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
के तहत होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र माननीय न्यायालय के
श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है ।

अन्त में प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी
संख्या 01 से 03 को आदेश दिया जावे कि वो प्रार्थीगण की सयुक्त
खातेदारी भूमि खसरा संख्या 815/1 रकबा रकबा 2.1358 हैक्टेयर का
मौके पर उक्त खसरे के राजस्व नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण
की उपस्थिति मे सीमांकन कर प्रार्थीगण के खर्चे से उक्त खसरे की उत्तर
दिशा की सीमा को स्थिर (निर्धारित) कर पत्थरगढी करावे । इस हेतु
अप्रार्थी संख्या 04 को आदेश मय तहरीर जारी की जावे। उक्त खसरे के
सीमांकन एवं पत्थर गढी के दौराने मौके पर अंशाति पैदा होने पर

अप्रार्थी संख्या 04 पुलिस इमदाद के जरिये उक्त आदेश की पालना करावे। अन्य आदेश जो प्रार्थीगण के पक्ष मे हो अता फरमावे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

अप्रार्थी सं. 4 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 815/1 रकबा 2.1358 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है। ग्राम खेजडला के खसरा 815/2 रकबा 1.9254 हैक्टयर किस्म बा.प्रथम जो 815/1 के चिपते हुए है अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। खसरा नंबर 815/1 रकबा 2.1358 हैक्टयर किस्म बा.प्रथम का सीमांकन पटवारी हल्का खेजडला द्वारा दिनांक 12.02.2021 को किया गया था जिसमें अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये। सीमांकन कर सीमांकन रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसील कार्यालय में प्रस्तुत की गई। सीमाकंन अनुसार खसरा नंबर 815/1 की उतरी सीमा पर प्रार्थीगण द्वारा तारबंदी करनी चाही तो अप्रार्थीगण द्वारा तुरन्त मना कर दिया गया। दोनों पक्षों में इस मसले को लेकर विवाद बढें नहीं, इस हेतु पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक रहेगा।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 815/1 रकबा 2.1358 हैक्टयर का मौके पर राजस्व नक्शे अनुसार अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक रहेगा।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अप्रार्थी सं. 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 815/1 में प्रार्थीगण रेकर्डेड सहखातेदार है। प्रार्थीगण ने बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 815/1 के उतरी सीमा के चिपते खसरा नंबर 815/2 के अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होना बताया परन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न खसरा नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी का उतरी सीमा खसरा नंबर 815/13 से चिपते हुए प्रदर्शित हो रही है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त खसरा नंबर 815/1 के उतरी सीमा के चिपते खसरे के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया तथा ना ही बनाये जाने का कारण स्पष्ट किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रभावित काश्तकारों को पक्षकार

कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
भीलाडा

नहीं बनाये जाने के अभाव में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को प्रभावित खसरों के काश्तकार को पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 20/01/16 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा